17-10-2022

पत्रावली पेश हुई। मूल वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के संबंध मे बेचान नही करने बाबत सहमत हैं। चूंकि प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री होने के कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निस्तारित करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष आराजीयात वादग्रस्त जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के चरण सं० 3 मे किया गया हैं। इस भूमि को उभय पक्ष मूल वाद के निस्तारण तक अन्यत्र बेचान नही करने हेतू पाबन्द किए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

17-10-22

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)